

## विवाह सहायता योजना

### i. योजना के प्रावधान :-

वैसे निबंधित लाभुक जिन्होंने पाँच वर्षों तक लगातार अंशदान जमा किया है उनके दो संतानों के विवाह हेतु 5000 /- की सहायता बोर्ड के द्वारा किया जाता है।